श्रीसैलम् नहर परियोजना

1982. **डा० वाई लक्ष्मी प्रसाद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने वर्ष 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश की संशोधित श्रीसैलम दाहिनी शाखा (राईट ब्रांच) नहर परियोजना का मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या मूल्यांकन के पश्चात् ऋण आदि के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) संशोधित परियोजना का तकनीकी ब्यौरा क्या है और उसमें अंतर्ग्रस्त व्यय का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश की श्रीसैलम दाहिनी शाखा नहर परियोजना का संशोधित अनुमान, राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण/वन स्वीकृति तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापना स्वीकृति प्राप्त किए जाने के अधीन, जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा 24.6.94 को हुई अपनी बैठक में 1185.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकार्य पाया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।

(ख) परियोजना को वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के लिए शामिल नहीं किया गया है।

(ग) संशोधित परियोजना में निम्नलिखित कार्य घटकों की परिकल्पना है:

(i) श्रीसैलम दाहिनी शाखा नहर बानकचेरला क्रास रेगुलेटर से निकलती हुई मुख्य जलकपाट से अपेक्षित आपूर्ति प्राप्त करेगी और इसकी लंबाई 198 कि. मी. होगी।

(ii) गोराकल्लू जलाशय को खाली किए बिना श्रीसैलम जलाशय से खरीफ सिंचाई की आवश्यकता प्राप्त करना सुकर बनाने के लिए दाहिनी शाखा नहर के प्रति-प्रवाह और अनुप्रवाह का जोड़ते हुए गोराकल्लू बांध के समानांतर गोराकल्लू बाई पास नहर।

(iii) बाढ़ के दौरान जल संचित करने के लिए श्रीसैलम दाहिनी शाखा नहर के 50.22 कि.मी. से 53.40 कि. मी. तक 369.82 मिलियन घन मीटर के सकल भडारण और 303.81 मिलियन घन मीटर के सक्रिय भंडारण के साथ प्रस्तावित गोराकल्लू संतुलन जलाशय (श्री नरसिम्हाराया सागर)।

(iv) बाढ़ के दौरान जल संचित करने के लिए श्रीसैलम दाहिनी शाखा नहर के 113.545 कि. मी. से 116 कि. मी. तक 137.876 मिलियन घन मीटर के सकल भडारण तथा 78.523 मिलियन घन मीटर के सक्रिय भडारण के साथ ओक संतुलन जलाशय बनाया जाना है।

(v) विवरण नेटवर्क।

तीर्थ स्थानों पर तोड़-फोड़ करने की आई०एस०आई० की योजना

1983. **श्री राघवजी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आई०एस०आई० की विभिन्न तीर्थ स्थानों पर तोड़-फोड़ करने की योजना थी, जैसाकि कुछ समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यनीति बनायी गयी है; और

(ग) क्या यह सच है कि देश में आई०एस०आई० की गतिविधियों में हाल ही में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है और स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्रालय (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) विभिन्न तीर्थ स्थानों पर तोड़-फोड़ करने की आई०एस०आई० की किसी योजना की सरकार को जानकारी है।

(ग) जबकि रिपोर्टों से यह पता चलता है कि आई०एस०आई० भारत में अपनी गतिविधियां फैलाने की कोशिश में है, सरकार को स्थिति की जानकारी है तथा आई०एस०आई० के मंसूबों का मुकाबला करने तथा उन्हें नाकाम करने के लिए आसूचना तंत्र को सुग्राही तथा सक्रिय बनाना, संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा आसूचना का आदान-प्रदान करना तथा समन्वित कार्रवाई करने जैसे सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

Telegraph services in Maharashtra

1984. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that telegraph offices/ services are provided on demand and justification thereof by the States;